पटना, जागरण ब्यूरो : सचिवालय आशुलिपिक सेवाकर्मियों के वेतन वृद्धि पर छाया संकट दूर हो गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कम्प्यूटर सक्षमता कोर्स पास करने की अनिवार्यता इनके लिए नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव अजय कुमार चौधरी ने सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों को गुरुवार को भेजे पत्र में कहा है कि बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली 2006 के अनुसार संपुष्टि और प्रथम वेतन वृद्धि के बाद वेतन वृद्धि की मंजूरी के लिए विभागीय परीक्षा का प्रावधान है। 14 जून 2006 के पूर्व से कार्यरत तत्कालीन निजी सहायक संवर्ग के कर्मचारी-अधिकारी जो इस नियम के अधीन स्वत: इस सेवा के सदस्य हैं के लिए इस परीक्षा की अनिवार्यता प्रोन्नति के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 24 मई 2011 को आदेश जारी कर बिहार सरकारी सेवक नियमावली-11 के द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गो की नियमावलियों में कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा का प्रावधान किया है। आशुलिपिकों की वेतन वृद्धि का रास्ता साफ

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति